

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं
गर्भनिरोधकों का प्रयोग



भाग-1 लक्ष्य दम्पतिओं की ट्रेकिंग और गर्भनिरोधक का उपयोग

इस भाग में एक सूची और दो प्रारूप हैं (EC-1 एवं EC-2)। प्रत्येक लक्ष्य दम्पति की जानकारी जिसमें नाम, संपर्क विवरण, MCTS / RCH ID इत्यादि का विवरण सूची में दर्ज किया जाएगा। EC-1 में प्रत्येक लक्ष्य दम्पति की जानकारी जैसे उस लक्ष्य दम्पति के जन्म लिए बच्चों की संख्या, उम्र एवं सबसे छोटे बच्चे का लिंग इत्यादि देनी होगी। EC-2 प्रारूप में लक्ष्य दम्पतियों जोड़ों के मासिक भ्रमण की जानकारी एवं गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग के बारे में जानकारी एकत्र करनी है।

कॉलम के अनुसार दिशा निर्देश पंजिका EC

कॉलम-1 क्रमांक- सभी लक्ष्य दम्पतिओं का एक नंबर होगा 1,2,3,4 जिन्हें इसमें दर्ज किया गया है।

कॉलम-2 महिला का MCTS ID No.- जब महिला पहली बार संपर्क में आती है एवं पोर्टल पर एंट्री होने के बाद प्राप्त यह नंबर लिखना है।

कॉलम-3- महिला का नाम- लक्ष्य दम्पति में से महिला का नाम लिखना है।

कॉलम-3 पति का नाम- लक्ष्य दम्पति में से पति का नाम लिखना है। यदि नहीं बताना चाहे तो NA लिखना है

कॉलम-4 महिला का आधार एवं बैंक विवरण-

महिला का आधार नंबर लिखना है, नहीं है तो 'उपलब्ध नहीं' लिखना है।

महिला का बैंक खाता नंबर लिखना है, नहीं है तो 'उपलब्ध नहीं' लिखना है।

महिला के बैंक का नाम एवं शाखा का नाम लिखना है। यदि उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो 'उपलब्ध नहीं' लिखना है

कॉलम-5 पति का आधार एवं बैंक विवरण-

पति का आधार नंबर लिखना है, नहीं है तो 'उपलब्ध नहीं' लिखना है।

पति का बैंक खाता नंबर लिखना है, नहीं है तो 'उपलब्ध नहीं' लिखना है।

पति के बैंक का नाम एवं शाखा का नाम लिखना है। यदि उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो 'उपलब्ध नहीं' लिखना है।

कॉलम-6 मोबाइल नम्बर

महिला / पति / परिवार के सदस्य (उल्लेखित करें) मोबाइल नम्बर लिखना आवश्यक है।

कॉलम-7 यहाँ पर इसी रजिस्टर की पृष्ठ संख्या को लिखना है जिसमें लक्ष्य दम्पति का विवरण दर्ज किया जा रहा है।

कॉलम के अनुसार दिशा निर्देश पंजिका EC-1

कॉलम-1 क्रमांक- भाग एक के सूची में जो क्रमांक महिला को मिला है वही क्रमांक यहाँ पर लिखना है, जैसे भाग एक के सूची में महिला का नाम क्रमांक संख्या 5 पर दर्ज है तो यहाँ भी क्रमांक 5 ही लिखना है।

कॉलम-2 महिला का MCTS ID No.- भाग एक के सूची में जो MCTS/RCH ID संख्या महिला को मिला है वही यहाँ पर लिखना है।

कॉलम-3 - पंजीकरण का दिनांक (dd/mm/yyyy)- उस दिनांक को दर्ज करें जिस दिन महिला पहली बार RCH रजिस्टर में दर्ज की जा रही है।

कॉलम-4 महिला का विवरण

नाम - महिला का नाम लिखना है।

वर्तमान आयु (वर्षों में) - पंजीकरण के समय महिला की आयु (पूर्ण वर्षों में)।

शादी के समय आयु - शादी के समय आयु (पूर्ण वर्षों में), यदि वैवाहिक स्थिति नहीं बताना चाहे तो 'लागु नहीं' लिखें।

कॉलम-5 पति का विवरण

नाम - पति का नाम लिखना है।

वर्तमान आयु (वर्षों में) - पंजीकरण के समय पति की आयु (पूर्ण वर्षों में)।

शादी के समय आयु - शादी के समय आयु (पूर्ण वर्षों में), यदि वैवाहिक स्थिति नहीं बताना चाहे तो 'लागु नहीं' लिखें।

कॉलम 6 पता - लक्ष्य दम्पति जहाँ निवास करते हैं उसका पता लिखें।

कॉलम 7 धर्म - लक्ष्य दम्पति के धर्म (हिन्दू या मुस्लिम या सिख या ईसाई) को लिखें, यदि कोई और धर्म है तो उसे 'अन्य' लिख कर उल्लेखित करें।

कॉलम 8 जाति- - लक्ष्य दम्पति के जाति को इस कॉलम में लिखें। यदि जाति SC / ST नहीं है तो 'अन्य' लिखें व उसे OBC या सामान्य वर्ग में उल्लेखित करें।

कॉलम 9 - BPL / APL उल्लेखित करना है।

कॉलम 10 कुल जन्मे बच्चों की संख्या - पंजीकरण से पहले महिला से जन्मे कुल बच्चों की संख्या लिखनी है (जीवित, मृत)

लड़का- कुल लड़कों की संख्या

लड़की- कुल लड़कियों की संख्या

कॉलम 11 कुल जीवित बच्चों की संख्या- कुल जन्मे बच्चों में से जीवित बच्चों की संख्या

लड़का - कुल जीवित लड़कों की संख्या

लड़की - कुल जीवित लड़कियों की संख्या

कॉलम 12 सबसे छोटे बच्चे की जानकारी

सबसे छोटे बच्चे की उम्र - सबसे छोटे बच्चे की उम्र लिखनी है

सबसे छोटे बच्चे लिंग- बच्चे का लिंग लिखना है लड़का/लड़की

कॉलम 13 यदि लक्ष्य दम्पति बच्चा पैदा करने में समर्थ नहीं है तो उसे FRU या जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में

संदर्भित करें व संदर्भित किए गए स्थान को दर्ज करें।

कॉलम 14 लक्ष्य दम्पति द्वारा उपयोग की जाने वाली परिवार नियोजन साधनो की जानकारी- महिला के साथ की गयी मासिक भेंट के दौरान मिली जानकारी के अनुरूप दम्पति द्वारा उपयोग की जाने वाली परिवार नियोजन साधनो का विवरण एवं तिथि दर्ज करना है।

कॉलम 15 गर्भावस्था जाँच + / - अथवा नहीं किया- प्रत्येक मासिक भेंट के समय महिला से गर्भावस्था के बारे में पूछना है यदि महिला हाँ कहती है या उसे गर्भवती होने की संभावना है तो उसकी गर्भावस्था की जाँच करे एवं उसका परिणाम दर्ज करे। यदि महिला की गर्भावस्था की जाँच का परिणाम +ve आता है तो उस परिणाम को इस कॉलम में दर्ज करें और उस गर्भवती महिला का विवरण इसी रजिस्टर के भाग 2 में लिखें। यदि गर्भावस्था की जाँच का परिणाम -ve आता है तो गर्भवती महिला का मासिक अनुसरण करती रहें व उपयोग की जा रही साधनो का विवरण कॉलम 14 में दर्ज करें। यदि गर्भावस्था जाँच किट उपलब्ध नहीं है तो जांच हेतु इसे प्राप्त करने के लिए ब्लॉक PHC/CHC को तुरंत इंडेंट देकर प्राप्त करें।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
61.					
62.					
63.					
64.					
65.					
66.					
67.					
68.					
69.					
70.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
71.					
72.					
73.					
74.					
75.					
76.					
77.					
78.					
79.					
80.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
81.					
82.					
83.					
84.					
85.					
86.					
87.					
88.					
89.					
90.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
91.					
92.					
93.					
94.					
95.					
96.					
97.					
98.					
99.					
100.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

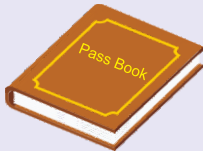
खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
101.					
102.					
103.					
104.					
105.					
106.					
107.					
108.					
109					
110.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग					
4	5			6	7
					
		पति का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण**		मोबाइल नम्बर पति/महिला/परिवार (उल्लेखित करें)	पृष्ठ क्रमांक***
बैंक एवं शाखा का नाम/ उपलब्ध नहीं	आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक एवं शाखा का नाम/ उपलब्ध नहीं		

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।
***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
111.					
112.					
113.					
114.					
115.					
116.					
117.					
118.					
119.					
120.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
121.					
122.					
123.					
124.					
125.					
126.					
127.					
128.					
129.					
130.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

**** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।**

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
131.					
132.					
133.					
134.					
135.					
136.					
137.					
138.					
139.					
140.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
141.					
142.					
143.					
144.					
145.					
146.					
147.					
148.					
149.					
150.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

**** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।**

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
151.					
152.					
153.					
154.					
155.					
156.					
157.					
158.					
159.					
160.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
161.					
162.					
163.					
164.					
165.					
166.					
167.					
168.					
169.					
170.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
171.					
172.					
173.					
174.					
175.					
176.					
177.					
178.					
179.					
180.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
181.					
182.					
183.					
184.					
185.					
186.					
187.					
188.					
189.					
190.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
191.					
192.					
193.					
194.					
195.					
196.					
197.					
198.					
199.					
200.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
201.					
202.					
203.					
204.					
205.					
206.					
207.					
208.					
209.					
210.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
211.					
212.					
213.					
214.					
215.					
216.					
217.					
218.					
219.					
220.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

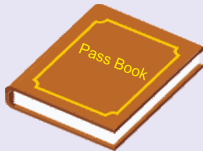
खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
221.					
222.					
223.					
224.					
225.					
226.					
227.					
228.					
229.					
230.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग					
4	5			6	7
					
		पति का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण**		मोबाइल नम्बर पति/महिला/परिवार (उल्लेखित करें)	पृष्ठ क्रमांक***
बैंक एवं शाखा का नाम/ उपलब्ध नहीं	आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक एवं शाखा का नाम/ उपलब्ध नहीं		

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।
***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
231.					
232.					
233.					
234.					
235.					
236.					
237.					
238.					
239..					
240.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
241.					
242.					
243.					
244.					
245.					
246.					
247.					
248.					
249.					
250.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
251.					
252.					
253.					
254.					
255.					
256.					
257.					
258.					
259.					
260					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
261.					
262.					
263.					
264.					
265.					
266.					
267.					
268.					
269.					
270.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
271.					
272.					
273.					
274.					
275.					
276.					
277.					
278.					
279.					
280.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
281.					
282.					
283.					
284.					
285.					
286.					
287.					
288.					
289.					
290.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

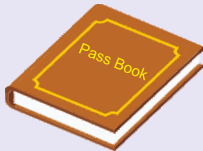
खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
291.					
292.					
293.					
294.					
295.					
296.					
297.					
298.					
299.					
300.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग					
4	5			6	7
					
		पति का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण**		मोबाइल नम्बर पति/महिला/परिवार (उल्लेखित करें)	पृष्ठ क्रमांक***
बैंक एवं शाखा का नाम/ उपलब्ध नहीं	आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक एवं शाखा का नाम/ उपलब्ध नहीं		

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।
***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
301.					
302.					
303.					
304.					
305.					
306.					
307.					
308.					
309					
310.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
311.					
312.					
313.					
314.					
315.					
316.					
317.					
318.					
319.					
320.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
321.					
322.					
323.					
324.					
325.					
326.					
327.					
328.					
329.					
330.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
331.					
332.					
333.					
334.					
335.					
336.					
337.					
338.					
339.					
340.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
341.					
342.					
343.					
344.					
345.					
346.					
347.					
348.					
349.					
350.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
351.					
352.					
353.					
354.					
355.					
356.					
357.					
358.					
359.					
360.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
361.					
362.					
363.					
364.					
365.					
366.					
367.					
368.					
369.					
370.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
371.					
372.					
373.					
374.					
375.					
376.					
377.					
378.					
379.					
380.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
381.					
382.					
383.					
384.					
385.					
386.					
387.					
388.					
389.					
390.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

खण्ड-I (अनुक्रमाणिका)

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

1	2	3		4	
					
क्रमांक	महिला का एम०सी०टी०एस० आई०डी० नम्बर *	महिला का नाम	पति का नाम **		महिला का आधार नम्बर एवं बैंक विवरण
				आधार नम्बर/उपलब्ध नहीं	बैंक खाता नम्बर/उपलब्ध नहीं
391.					
392.					
393.					
394.					
395.					
396.					
397.					
398.					
399.					
400.					

* इस आई.डी. नंबर को एमसीटीएस पोर्टल से, योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें। यह एम०सी०टी०एस० आई०डी० नंबर महिला के संपूर्ण प्रजनन काल में (49 वर्ष की उम्र तक) एक ही रहेगा।

** यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

[illegible]

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

***इस पंजिका का पृष्ठ क्रमांक जिस पर योग्य दंपति का विवरण दर्ज है।

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

82

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ड.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																											
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																											
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च			
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया	
1.																											
2.																											
3.																											
4.																											
5.																											
6.																											
7.																											
8.																											

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

83

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
9								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

85

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
9.																												
10.																												
11.																												
12.																												
13.																												
14.																												
15.																												
16.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

86

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, "लागू नहीं" लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो "लागू नहीं" लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
17.																												
18.																												
19.																												
20.																												
21.																												
22.																												
23.																												
24.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

89

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								
32.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

91

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																									EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																									15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																										
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																										
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
25.																										
26.																										
27.																										
28.																										
29.																										
30.																										
31.																										
32																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

92

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
33.								
34..								
35.								
36.								
37.								
38.								
39.								
40.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
33.																												
34.																												
35.																												
36.																												
37.																												
38.																												
39.																												
40.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

95

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
41.								
42.								
43.								
44.								
45.								
46.								
47.								
48.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																										
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																										
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
41.																										
42.																										
43.																										
44.																										
45.																										
46.																										
47.																										
48.																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

98

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
49.								
50.								
51.								
52.								
53.								
54.								
55.								
56.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

100

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ड.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
49.																												
50.																												
51.																												
52.																												
53.																												
54.																												
55.																												
56.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

101

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
57.								
58.								
59.								
60.								
61.								
62.								
63.								
64.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, "लागू नहीं" लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो "लागू नहीं" लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

103

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																									EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																									15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																										
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																										
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
57.																										
58.																										
59.																										
60.																										
61.																										
62.																										
63.																										
64.																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

104

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
65.								
66.								
67.								
68.								
69.								
70.								
71.								
72								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

106

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																									EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																									15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																										
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																										
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
65.																										
66.																										
67.																										
68.																										
69.																										
70.																										
71.																										
72.																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

107

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
73.								
74.								
75.								
76.								
77.								
78.								
79.								
80.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

109

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
73.																												
74.																												
75.																												
76.																												
77.																												
78.																												
79.																												
80.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

110

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
81.								
82.								
83.								
84.								
85.								
86.								
87.								
88.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

112

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोलियां (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																											
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																											
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्टूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च			
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया	
81.																											
82.																											
83.																											
84.																											
85.																											
86.																											
87.																											
88.																											

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

113

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
89.								
90.								
91.								
92.								
93.								
94.								
95.								
96.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

115

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																									EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																									15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																										
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																										
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
89.																										
90.																										
91.																										
92.																										
93.																										
94.																										
95.																										
96.																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

116

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
97.								
98.								
99.								
100.								
101.								
102.								
103.								
104.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

EC - 1

6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

118

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																											EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																											15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ड.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
97.																												
98.																												
99.																												
100.																												
101.																												
102.																												
103.																												
104.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

119

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
105.								
106.								
107.								
108.								
109.								
110.								
111.								
112.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

121

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																												EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																												15	
																													
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																													
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																													
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च					
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया	
105.																													
106.																													
107.																													
108.																													
109.																													
110.																													
111.																													
112.																													

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

122

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
113.								
114.								
115.								
116.								
117.								
118.								
119.								
120.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

EC - 1

6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

124

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
113.																												
114.																												
115.																												
116.																												
117.																												
118.																												
119.																												
120.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

125

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
121.								
122.								
123.								
124.								
125.								
126.								
127.								
128.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।

**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, "लागू नहीं" लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो "लागू नहीं" लिखें।

जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

126

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

127

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																									EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																									15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																										
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																										
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
121.																										
122.																										
123.																										
124.																										
125.																										
126.																										
127.																										
128.																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

128

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
129.								
130.								
131.								
132.								
133.								
134.								
135.								
136.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।

**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, "लागू नहीं" लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो "लागू नहीं" लिखें।

जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

129

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

130

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15	
																											
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																											
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																											
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च			
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया	
129.																											
130.																											
131.																											
132.																											
133.																											
134.																											
135.																											
136.																											

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

131

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
137.								
138.								
139.								
140.								
141.								
142.								
143.								
144.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

133

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																										
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																										
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
137.																										
138.																										
139.																										
140.																										
141.																										
142.																										
143.																										
144.																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

134

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
145.								
146.								
147.								
148.								
149.								
150.								
151.								
152.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

136

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
145.																												
146.																												
147.																												
148.																												
149.																												
150.																												
151.																												
152.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

137

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
153.								
154.								
155.								
156.								
157.								
158.								
159.								
160.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।

**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, "लागू नहीं" लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो "लागू नहीं" लिखें।

जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

138

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

139

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																									EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																									15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																										
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																										
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
153.																										
154.																										
155.																										
156.																										
157.																										
158.																										
159.																										
160																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

140

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
161.								
162.								
163.								
164.								
165.								
166.								
167.								
168.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

142

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
161.																												
162.																												
163.																												
164.																												
165.																												
166.																												
167.																												
168.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

143

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
169.								
170.								
171.								
172.								
173.								
174.								
175.								
176.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

145

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
169.																												
170.																												
171.																												
172.																												
173.																												
174.																												
175.																												
176.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

146

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
177.								
178.								
179.								
180.								
181.								
182.								
183.								
184.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																										
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																										
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
177.																										
178.																										
179.																										
180.																										
181.																										
182.																										
183.																										
184.																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

149

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
185.								
186.								
187.								
188.								
189.								
190.								
191.								
192.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

151

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
185.																												
186.																												
187.																												
188.																												
189.																												
190.																												
191.																												
192.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

152

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
193.								
194.								
195.								
196.								
197.								
198.								
199.								
200.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।

**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, "लागू नहीं" लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो "लागू नहीं" लिखें।

जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

153

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

154

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
193.																												
194.																												
195.																												
196.																												
197.																												
198.																												
199.																												
200.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

155

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
201.								
202.								
203.								
204.								
205.								
206.								
207.								
208.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।

**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।

जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

156

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

157

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
201.																												
202.																												
203.																												
204.																												
205.																												
206.																												
207.																												
208.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

158

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
209								
210.								
211.								
212.								
213.								
214.								
215.								
216.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

160

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																												EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																												15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																													
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																													
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च					
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया	
209.																													
210.																													
211.																													
212.																													
213.																													
214.																													
215.																													
216.																													

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

161

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
217.								
218.								
219.								
220.								
221.								
222.								
223.								
224.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I										
योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																											
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																											
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्टूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च			
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया	
217.																											
218.																											
219.																											
220.																											
221.																											
222.																											
223.																											
224.																											

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

164

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
225.								
226.								
227.								
228.								
229.								
230.								
231.								
232.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

166

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
225.																												
226.																												
227.																												
228.																												
229.																												
230.																												
231.																												
232																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

167

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
233.								
234..								
235.								
236.								
237.								
238.								
239.								
240.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।

**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।

जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

168

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

169

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
233.																												
234.																												
235.																												
236.																												
237.																												
238.																												
239.																												
240.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

170

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
241.								
242.								
243.								
244.								
245.								
246.								
247.								
248.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

172

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ड.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
241.																												
242.																												
243.																												
244.																												
245.																												
246.																												
247.																												
248.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

173

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
249.								
250.								
251.								
252.								
253.								
254.								
255.								
256.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

175

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
249.																												
250.																												
251.																												
252.																												
253.																												
254.																												
255.																												
256.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

176

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
257.								
258.								
259.								
260.								
261.								
262.								
263.								
264.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

178

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15	
																											
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																											
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																											
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्टूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च			
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया	
257.																											
258.																											
259.																											
260.																											
261.																											
262.																											
263.																											
264.																											

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

179

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
265.								
266.								
267.								
268.								
269.								
270.								
271.								
272								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

181

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोलियां (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																										
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																										
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्टूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
265.																										
266.																										
267.																										
268.																										
269.																										
270.																										
271.																										
272.																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

182

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
273.								
274.								
275.								
276.								
277.								
278.								
279.								
280.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I										
योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																									EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																									15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																										
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																										
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्टूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
273.																										
274.																										
275.																										
276.																										
277.																										
278.																										
279.																										
280.																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

185

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
281.								
282.								
283.								
284.								
285.								
286.								
287.								
288.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

187

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग

EC-2

14

गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग

15













(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)

मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)

	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्टूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
281.																										
282.																										
283.																										
284.																										
285.																										
286.																										
287.																										
288.																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

188

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
289.								
290.								
291.								
292.								
293.								
294.								
295.								
296.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

190

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																											EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																											15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
289.																												
290.																												
291.																												
292.																												
293.																												
294.																												
295.																												
296.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

191

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
297.								
298.								
299.								
300.								
301.								
302.								
303.								
304.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

193

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																											
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																											
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च			
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया	
297.																											
298.																											
299.																											
300.																											
301.																											
302.																											
303.																											
304.																											

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

194

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
305.								
306.								
307.								
308.								
309.								
310.								
311.								
312.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

196

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																										
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																										
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
305.																										
306.																										
307.																										
308.																										
309.																										
310.																										
311.																										
312.																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

197

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
313.								
314.								
315.								
316.								
317.								
318.								
319.								
320.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I										
योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग		EC-2																								
14		गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग														15										
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोलियां (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)		मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																								
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
313.																										
314.																										
315.																										
316.																										
317.																										
318.																										
319.																										
320.																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

200

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
321.								
322.								
323.								
324.								
325.								
326.								
327.								
328.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

202

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																									EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																									15		
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																											
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																											
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च			
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया	
321.																											
322.																											
323.																											
324.																											
325.																											
326.																											
327.																											
328.																											

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

203

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
329.								
330.								
331.								
332.								
333.								
334.								
335.								
336.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

205

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग		EC-2																								
14		गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग														15										
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोलियां (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)		मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																								
	माह →	अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
329.																										
330.																										
331.																										
332.																										
333.																										
334.																										
335.																										
336.																										

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

206

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
337.								
338.								
339.								
340.								
341.								
342.								
343.								
344.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I										
योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
337.																												
338.																												
339.																												
340.																												
341.																												
342.																												
343.																												
344.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

209

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
345.								
346.								
347.								
348.								
349.								
350.								
351.								
352.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

211

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																											EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																											15	
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
345.																												
346.																												
347.																												
348.																												
349.																												
350.																												
351.																												
352.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

212

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
353.								
354.								
355.								
356.								
357.								
358.								
359.								
360.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

214

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																											
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																											
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्टूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया	
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय		
353.																											
354.																											
355.																											
356.																											
357.																											
358.																											
359.																											
360																											

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

215

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
361.								
362.								
363.								
364.								
365.								
366.								
367.								
368.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

217

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																											EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																											15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ड.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च		गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया		
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय			
361.																												
362.																												
363.																												
364.																												
365.																												
366.																												
367.																												
368.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

218

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
369.								
370.								
371.								
372.								
373.								
374.								
375.								
376.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

220

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2		
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15		
																												
(क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ड.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
369.																												
370.																												
371.																												
372.																												
373.																												
374.																												
375.																												
376.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

221

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
377.								
378.								
379.								
380.								
381.								
382.								
383.								
384.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।
**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।
जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

223

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																											
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																											
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च			
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया	
377.																											
378.																											
379.																											
380.																											
381.																											
382.																											
383.																											
384.																											

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

224

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
385.								
386.								
387.								
388.								
389.								
390.								
391.								
392.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।

**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, “लागू नहीं” लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो “लागू नहीं” लिखें।

जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

225

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

226

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																										EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																										15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																											
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																											
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्टूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च			
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया	
385.																											
386.																											
387.																											
388.																											
389.																											
390.																											
391.																											
392.																											

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

227

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग								EC - 1
1	2	3	4			5		
								
क्रमांक	महिला का एम सी टी एस आई डी नम्बर*	पंजीकरण का दिनांक #	महिला			पति**		
			नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**	नाम	वर्तमान आयु (वर्ष में)	विवाह के समय आयु (वर्ष में)**
393.								
394.								
395.								
396.								
397.								
398.								
399.								
400.								

*इस आई.डी. नम्बर को एमसीटीएस पोर्टल से योग्य दम्पतियों हेतु जारी होने के बाद प्राप्त करें।

**यदि पति का नाम अज्ञात है तो, "लागू नहीं" लिखें/यदि विवाह संबंधित जानकारी अज्ञात है तो "लागू नहीं" लिखें।

जहां लागू हो, दिनांक/माह/वर्ष, इस तरह लिखें।

228

खण्ड - I

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग										EC - 1
6	7	8	9	10		11		12		13
										
घर का पता	धर्म	जाति (अनुसूचित जाति/जन-जाति/अन्य)	गरीबी रेखा के नीचे/ गरीबी रेखा के ऊपर	कुल जन्मे बच्चों की संख्या		कुल जीवित बच्चे		सबसे छोटे बच्चे की जानकारी		यदि योग्य दंपत्ति बांझ है तो एफ.आर.यू./जिला चिकित्सालय भेजें
				लड़का	लड़की	लड़का	लड़की	आयु (वर्ष में)	लिंग (लड़का/लड़की)	

टिप्पणी : आरसीएच पंजिका को दो वित्तीय वर्ष हेतु उपयोग करें, प्रथम वर्ष का मासिक फॉलोअप एवं गर्भनिरोधक के प्रयोग की जानकारी EC - 2 प्रपत्र में अंकित करें एवं द्वितीय वर्ष की जानकारी EC-2 A प्रपत्र में अंकित करें।

229

योग्य दम्पतियों का विवरण एवं गर्भनिरोधकों का प्रयोग																											EC-2	
14 गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग																											15	
      (क) निरोध (ख) गर्भनिरोधक गोлияं (ग) कॉपर आई.यू.सी.डी. 380 ए (10 वर्ष) (घ) कॉपर आईयूसीडी 375 (5 वर्ष) (ङ.) महिला नसबंदी (च) पुरुष नसबंदी (छ) आपातकालीन गर्भनिरोधक गोлияं** (ज) कोई नहीं (झ) अन्य (विवरण दें)																												
मासिक भेंट (12 भेंट एक वर्ष में)																												
माह →		अप्रैल		मई		जून		जुलाई		अगस्त		सितंबर		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		जनवरी		फरवरी		मार्च				
क्रमांक	महिला का नाम	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	भेंट दिनांक	उपाय	गर्भावस्था जांच *+/-/ अथवा नहीं किया
393.																												
394.																												
395.																												
396.																												
397.																												
398.																												
399.																												
400.																												

*यदि गर्भावस्था जांच निगेटिव (-) है तो मासिक फॉलोअप जारी रखें। यदि महिला गर्भवती है तो जानकारी खण्ड-II में लिखें।

*आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली एक नियमित गर्भनिरोधक नहीं है। सिर्फ आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयोग करें।

टिप्पणी : दंपत्ति को पुरुष नसबंदी के तीन माह बाद एवं महिला नसबंदी के दो माह बाद योग्य दम्पत्ति की श्रेणी से हटा सकते हैं। इसके पश्चात् उनसे गर्भनिरोधकों के प्रयोग की जानकारी हेतु मासिक भेंट की आवश्यकता नहीं रहती।

230

REMARKS

REMARKS